19-9-19 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। वकील अपीलान्ट ने दिनांक 16-9-19 को प्रस्तुत दस्तावेज की बाबत निवेदन किया कि विचाराधीन अपील से संबंधित एक वाद न्यायालय जिला न्यायाधीश झुंझुनूं द्वारा दिनांक 2-8-19 को स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जा चुका है। अतः अपील मे अब अन्य कोई कार्यवाही नही की जाकर अपील इसी स्तर पर ड्राप कर खारिज फरमाई जावे। राजकीय अभिभाषक ने भी वकील अपीलान्ट के कथनों का समर्थन किया तथा अपील खारिज की जाने मे अपनी कोई आपत्ति व्यक्त नही की।

हमने वकील पक्षकारान् की बहस तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया। अवलोकन से साफ जाहिर है कि न्यायालय जिला न्यायाधीश झुंझुनूं द्वारा दिनांक 2-8-19 को आदेश पारित कर प्रकरण रिमाण्ड कर दिया है। न्यायालय की दृष्टि मे एक ही वाद की बाबत विभिन्न न्यायालयों मे अलग-अलग आदेश पारित किया जाना विधिसम्मत नही है तथा साथ ही इस अपील मे अपीलान्ट द्वारा भी अन्य कोई अनुतोष शेष नही रहना जाहिर किया है। अतः अपीलान्ट की अपील इसी स्तर पर ड्राप कर खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अदालत मातहत को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(रवि जैन)